श्री शेषनारायण जायसवाल तत्कालीन नायब तहसीलदार बिलासपुर के द्वारा अपने जवाब में लेख किया गया है कि आवेदक गायत्री कन्सट्रक्शन द्वारा भागीदार राघवेन्द्र गुप्ता द्वारा ग्राम बिजौर तहसील बिलासपुर से प्राप्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 202102075000033 दर्ज करते हुए पीठासीन अधिकारी की हैसियत से छ०ग०भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 131, 132, 133, 134 के तहत उपरोक्त **शासकीय भूमि में से 160 फुट लंबा एवं 32 फुट चौड़ा कुल रकबा 5120 वर्गफुट भूमि पर आवेदक के निजी भूमि तक आने जाने के लिए आम रास्ता उपयोग की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की गई।** किसी प्रकार के भूमि बंटन या राजस्व अभिलेख अद्यतन किए जाने संबंधी किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे शासन को राजस्व की क्षति कारित हुई हो। आम रास्ता के उपयोग हेतु अनापत्ति दिए गए भूमि पर उपरोक्त आवेदक द्वारा किसी प्रकार के शासकीय नियम/निर्देश/शर्त का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे राजस्व की क्षति कारित हो रही हो तो उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने का विकल्प विद्यमान है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से नियम विरूद्ध कृत्य नहीं किया गया है।

प्राप्त जवाब, संलग्न दस्तावेज एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अवलोकन एवं परिशीलन करने से निम्नानुसार नियम/निर्देशों का उल्लंघन प्रतीत होता है –

1. भूमि बंटन/व्यवस्थापन के संबंध में लागू छ0ग0 शासन राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र कमांक एफ –7–117/सात–1/2011 वर्ष 2011 के अनुसार सार्वजनिक मार्ग और आवेदित कालोनी/भू–खण्ड के मध्य शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि है तो पहुंच मार्ग हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नियमानुसार मार्ग निर्माण हेतु किया जा सकेगा इस तरह आबंटित की जाने वाली भूमि प्राईवट बिल्डर्स को शासकीय/नजूल भूमि आबंटन हेतु गठित अंर्तविभागीय समिति द्वारा प्रचलित गाईड लाईन पर आबंटित की जावेगी। भूमि आबंटन के पश्चात ही अनुज्ञा जारी किया जाना उचित होगा क्योंकि किसी भी आवासीय स्थल तक पहुंच मार्ग उपलब्ध होने से भू–खण्ड का मूल्य संवर्धन होता है।

2. तत्कालीन समय मे प्रचलित छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबधन विभाग के पत्र कमांक एफ 4–07/सात–1/2019 दिनांक 24 फरवरी 2022 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन संबंध में निर्देश जारी किये गए है। जिसके **बिन्दु कमांक 1.1 अनुसार जिला स्तर पर शासकीय भूमि आबंटन अतिकमित भूमि के व्यवस्थापन के आवेदनों का परिक्षण कर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित करने का प्रावधान है।**

बिन्दु कमांक 1.4 (क) अनुसार **कलेक्टर द्वारा ऐसी शासकीय भूमि जिसकी लोकबाधा/स्वास्थ्य/सुरक्षा/सुविधा/लोकप्रयोजन/पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने की आवश्यकता न हो, 7500 वर्गफुट तक भूमि आबंटन तथा ऐसी अतिकमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन किया जा सकेगा का प्रावधान किया गया है। स्पष्ट है उपरोक्त निस्तारी रास्ता प्रदाय किये जाने में शासन के उक्त कंडिकाओं का उल्लंघन हुआ है।**